292

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

पत्रांक 7112 / 25/7/17

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0
पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक –

विषयः– **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन करने के संबंध में।**

महाशय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 2234 दिनांक 07.03.17 एवं पत्रांक 20/गो0 दिनांक 21.3.2017(छाया प्रति संलग्न) का स्मरण करना चाहेंगे। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को लगभग 8.57 करोड़ लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण करने की जवाबदेही दी गयी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में धान एवं गेहूँ के अधिप्राप्ति का कार्य के लिए निगम को नोडल निगम बनाया गया। निगम 2013-14 से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत राज्य सरकार से प्राप्त ऋण एवं बैंकों से लगभग 2000 करोड़ रूपये का ऋण लेकर अधिप्राप्ति का व्यवसाय करता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा जिला खाद्य निगम के कार्यो का निष्पादन सही तरीके से करने के लिए लिखित रूप में बार-बार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। पदाधिकारियों के अभाव के कारण बहुत जिलों में प्रभारी के द्वारा निगम का कार्य सम्पादित कराना पड़ रहा है।

अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत कुल 16पद एवं एक अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी कुल 17 पदाधिकारी का पदस्थापन करने की कृपा की जाय ताकि निगम का संचालन सही ढंग से किया जा सके।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त।

24/7/17
प्रबंध निदेशक।

243

Pankaj Kumar
I.A.S.
पंकज कुमार
भा.प्र.से.

सत्यमेव जयते

Managing Director
Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited
Patna - 800 001
प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पटना–800001

पत्रांक– दिनांक–

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
पटना।

विषयः– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–2234, दिनांक–07.03.2017 एवं 20/गो0 दिनांक–21.03.2017 का संदर्भ लेना चाहेंगे (छाया प्रति संलग्न)। बिहार राज्य खाद्य निगम में जिला प्रबंधकों के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 पदों के विरूद्व मात्र 11 पदों पर ही बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी कार्यरत हैं एवं 14 पद रिक्त है। इसी प्रकार निगम मुख्यालय स्तर पर मात्र दो ही वरीय पदाधिकारी कार्यरत हैं, एवं दो पदाधिकारियों को प्रतिनियोजित कर कार्य कराया जा रहा है एवं शेष संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी हैं। निगम का वित्तीय कार्य हजारों करोड़ रूपये में है। निगम का वित्तीय लेखा एवं अंकेक्षण लम्बी अवधी से लम्बित है, जिसके कारण रजिस्टार ऑफ कम्पनी की ओर से निगम को बंद करने का नोटिस भी दिया जा चुका है। इस संदर्भ में वैधानिक कार्रवाई का अनुपालन करना भी आवश्यक है। प्रमादी मिलरों के कारण लगभग 3000 मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है और इस पर ससमय कार्रवाई के साथ पर्यवेक्षण करना है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार प्रमादी मिलरों एवं पदाधिकारियों के विरूद्व वादों को ट्रायल भी समयवद्ध सीमा में करना है।

अतः अनुरोध है अविलम्ब जिला प्रबंधकों के स्वीकृत रिक्त पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 पदाधिकारियों तथा मुख्यालय स्तर अपर समाहर्त्ता एवं इसके समकक्ष कम से कम चार पदाधिकारियों का पदस्थापन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–

अनुलग्नकः– यथोक्त। प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक– 24/51/10 पटना, दिनांक– 21.04.2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी निगम के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

Admn.

प्रबंध निदेशक

201

Pankaj Kumar
I.A.S.
पंकज कुमार
भा.प्र.से.

सत्यमेव जयते

Managing Director
Bihar State Food and Civil
Supplies Corporation Limited
Patna - 800 001
प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल
सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पटना-800001

पत्रांक 20/स्था० / दिनांक– 21/03/2017

सेवा में,

श्री अमीर सुबानी,
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,
पटना।

विषयः– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक–.2234 दिनांक– 07.03.2017 (छाया प्रति संलग्न) का स्मरण करना चाहेंगे। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को लगभग 8.57 करोड़ लाभुकों के बीच खाद्यान का वितरण करने की जवाबदेही दी गयी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से धान एवं गेहू के अधिप्राप्ति का कार्य के लिए निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया एवं 2013–14 से विकेन्द्रित अधिप्राप्ति के तहत राज्य सरकार से प्राप्त ऋण एवं बैंकों से लगभग 2000 करोड़ रूप्ये का ऋण लेकर अधिप्राप्ति का व्यवसाय करता है।

इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए निगम मुख्यालय में नियमित मात्र दो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी उपलब्ध हैं, इनके अतिरिक्त राज्य खाद्य निगम के एक पदाधिकारी एवं अंकेक्षण के एक पदाधिकारी उपलब्ध हैं। निगम के सेवा निवृत्त 5 पदाधिकारियों को संविदा पर रख कर दिनानुदिन कार्य कराया जा रहा है। विगत वर्षों में बिहार प्रशासनिक सेवा के 8–10 पदाधिकारियों की उपलब्धता थी, इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया, परन्तु इनके स्थान पर पदस्थापन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12, ,2012–13एवं 2013–14 में खरीफ एवं रब्बी अधिप्राप्ति कार्यक्रम में मिलरों के द्वारा लगभग 1500 करोड़ रूप्ये की राशि का धान लिया गया लेकिन उनके स्थान पर सी०एम०आर० उपलब्ध नहीं कराया गया एवं वर्त्तमान में लगभग 1350 करोड़ रूपये लम्बित, बकाया है। पदाधिकारीयों एवं कार्मियों के विरूद्ध भी गबन के लगभग 107.23 करोड़ की वसूली हेतु एफ०आई०आर, नीलाम पत्र वाद के अतिरिक्त विभागीय कार्यावाही चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त राशि की वसूली एवं आपराधिक वादों में कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बकायदारों के विरुद्ध एफ०आई०आर० के साथ–साथ निलामपत्र भी दायर किया गया है और दोषी व्यक्तियों पर भी विभागीय कार्रवाई, निलामपत्र एवं प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । दोषी मिलरों की संख्या लगभग 1425 है। प्रमादी मिलरों पर कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय/न्यायालयों में क्रिमिनल एवं सी०डब्लू०जे०सी० दायर हुये हैं। इसमें प्रति शपथ पत्र दायर करने एवं इन वादों का सार्थक मोनिटरिंग एक बड़ी चुनौती हैं वर्तमान में वैसे मामलों में प्रमादी मिलरों द्वारा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत/सशर्त जमानत प्राप्त किया गया था एवं निगम द्वारा विशेष अनुमति याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

290

ऐसी स्थिति में सेवा निवृत्त पदाधिकारियों एवं कनीय स्तर के पदाधिकारियों से इन दायित्वों को ससमय पूरा कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। निगम में स्वच्छ छवि के सेवानिवृत कर्मियों का अभाव है। संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निर्गत करने पर भी उपलब्धत नहीं हो पा रही है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम जो लगभग 6000 करोड का सीधा वित्तीय आय–व्यायक करता है, वहाँ पर वर्त्तमान में जानकार पदाधिकारियों के अभाव में बिहार प्रशासनिक सेवा के मात्र–2 पदाधिकारी से कार्य करवाया जा रहा है। यदि निगम के द्वारा वितरित किये जाने वाले खाद्यान की राशि को लिया जाय तो आय–व्यय बहुत ही अधिक है। ऐसे में इतना कम पदाधिकारीयों की संरचना में कार्य करने में वित्तीय गड़बड़ी की संभावना बनी रहेगी एवं खाद्यान के वितरण के साथ–साथ वित्तीय प्रबन्धन में भी गड़बड़ी की संभावना रहेगी । साथ ही अधीनस्थ कार्यालयों में पर्यवेक्षण एवं मुख्यालय के नियंत्रण में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि अविलम्ब बिहार प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत कुल– 16 पद के विरूद्ध पदस्थापन एवं अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी का पदस्थापन शीघ्र करने की कृपा की जाय, ताकि निगम का संचालन सही ढ़ंग से किया जा सके।

अनुः–यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांक 20/प्र0 /पटना, दिनांक 21/03/2017

प्रतिलिपिः सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/03/2017

प्रबन्ध निदेशक।

267

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

पत्रांक- 3:12:118:01:13 दिनांक -

प्रेषक,

पंकज कुमार,भा0प्र0से0
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- बिहार राज्य खाद्य निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंगः- निगम मुख्यालय का पत्रांक 2852 दिनांक 29.02.16,1237 दिनांक 09.02.17 एवं 1739 दिनांक 21.02.17

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से(छाया प्रति संलग्न) बिहार राज्य खाद्य निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के चार पदाधिकारी यथा प्रमुख अधिप्राप्ति, प्रमुख वित्त, प्रमुख निगरानी एवं प्रमुख प्रशासन का पद स्वीकृत हैं परन्तु उक्त पद पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन अब तक नहीं हुआ है।

ध्यातव्य है कि वर्तमान में बि0प्र0से0 के अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी प्रमुख वित्त के रूप में एवं उप सचिव स्तर के(समकक्ष) एक पदाधिकारी उप प्रमुख दावा के रूप में कार्यरत है।

निगम का कुल 38 जिला इकाई कार्यरत है, जिसमें बि0प्र0से0 संवर्ग के 25 पद एवं निगम मुख्यालय बि0प्र0से0 संवर्ग के पदाधिकारियों का 14 पद स्वीकृत है।

बिहार राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में जिला प्रबंधक के पद पर कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा एवं निगम पदाधिकारी के पदस्थापन की अद्यतन स्थिति निम्नवत है-

क्र0	बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी	निगम के पदाधिकारी	खा0वि0वि0से आये पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी	कुल कार्यरत	अभ्युक्ति
01	11	15	12	38	एक अतिरिक्त प्रभार में है।

इस प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के 13 पद रिक्त है। विदित हो कि कुछ जिला पदाधिकारियों के द्वारा लिखित रूप से मांग किया गया है कि जिला में बिहार प्रशासनिक सेवा के ही पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाय। उल्लेखनीय है, जिला प्रबंधक के पदों पर योग्य पदाधिकारियों के पदस्थापित नहीं होने के कारण खाद्यान्न उठाव एवं वितरण में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि बि0प्र0से0 के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के 03 पदाधिकारी एवं बि0प्र0से0 के उप सचिव(समकक्ष स्तर) के जिला प्रबंधक के पद के लिए 13 पदाधिकारी कुल 16 बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों का पदस्थापन निगम में करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-3:12:118:01:13 2234 दिनांक - 07/03/17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2017
प्रबंध निदेशक

Mar.17